राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सियल ऐरिया, सी–स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर–16)

क्रमांक : मॉ. प्रकोष्ठ / डीएलबी / 2016 / 7276-7467 जयपुर, दिनांक: 27-1-2017

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय :–स्मार्टराज प्रोजेक्ट के अंतर्गत भवन निमार्ण स्वीकृति आवेदन ऑफलाइन लेने के संबंध में निर्देश।

उपरोक्त विषयांतर्गत श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अध्यक्षता में स्मार्टराज प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक दिनांक 06.01.2017 में लिए गए निर्णय की पालना में भवन निर्माण स्वीकृति मॉड्यूल एवं फायर एनओसी मॉड्यूल को दिनांक 01.04.2017 से सभी नगरीय निकायों में इन्ट्रीग्रेट कर ऑनलाईन प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी है। अतः इस संबंध में जारी पूर्व आदेश क्रमांक एफ.59 STP/DLB/Building-B.Laws/(41)/16/796 दिनांक 13.10.2016 के क्रम में समस्त नगरीय निकायों को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.03.2017 तक भवन निर्माण स्वीकृति (BPAS) ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत निस्तारित किये जा सकेगें तथापि भवन निर्माण स्वीकृति आवेदन ऑनलाइन भी प्राप्त हो तो उनका भी नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जावेगा। दिनांक 01.04.2017 से 90–ए के तहत कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण, भवन निर्माण स्वीकृति एवं फायर एनओसी की कार्यवाही ऑनलाईन प्रक्रिया से की जावेगी।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : मॉ. प्रकोष्ठ / डीएलबी / 2016 / 7468-7484 जयपुर, दिनांक: 27-1-2017

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक / संयुक्त निदेशक (एस.ए.) / प्रभारी अधिकारी मॉनिटरिंग, निदेशालय।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. प्रोग्रामर, निदेशालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें

(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक